

## **الدرس الرابع - هندي**

### **أشياء لا تفسد الصوم**

#### **पाठ - 4**

#### **जिन चीजों से रोज़ा नहीं टूटता**

1. स्नान करने, या तैरने या पानी के ज़रिया गर्मी से बचने से ।
2. फज्ज उदय से पहले खानेपीने या हमविस्तरी करने से ।
3. मिस्वाक करने से, दिन में किसी समय भी मिस्वाक किया जाए, उससे रोज़े पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । बल्कि यह मुस्तहब कामों में से एक है ।
4. हलाल दवा के इस्तेमाल से, शर्त यह है कि उससे गिज़ा हासिल न होती हो । अतएव ऐसा इंजेक्शन लिया जा सकता है, जिसमें गिज़ाइयत न हो । कान या आँख में झाप भी डाला जा सकता है यद्यपि इंसान के हलक़ में दवा के मज़ा का एहसास हो जाए । अलबत्ता इफ्तार के समय तक इन चीजों को टालना बेहतर है ।

इसी तरह स्परे का इस्तेमाल भी जायज़ है । खाना चखने से भी रोज़ा नहीं टूटता है । शर्त यह है कि इंसान के पेट में कुछ न पहुंचे ।

उसी तरह कुल्ली करने और नाक में पानी डालने में भी कोई हर्ज़ नहीं है । अलबत्ता इन चीजों में ज्यादती नहीं करनी चाहिए ताकि कोई चीज़ इंसान के पेट तक न पहुंच जाए ।

खुशबू इस्तेमाल करने और पाकीज़ा खुशबुओं को सूंधने में कोई हर्ज़ नहीं है ।

5. माहवारी से गुज़र रही महिला का खून रात में बन्द हो जाए तो उनके लिए फज्ज उदय तक स्नान का टाल देना जायज़ है । उसी तरह से जुनुबी का भी मसला है ।

**नोट:** 1. यदि कोई काफिर रमजान के दिन में ईमान लाएगा तो वह उसे दिन का शेष हिस्सा खाने पीने और दूसरी रोज़ा तोड़ने वाली चीजों से बाज़ रहेगा । और उसपर क़ज़ा वाजिब नहीं होगी ।

2. फर्ज़ रोज़ा और नफ़ل रोज़ा: शवाल के 6 रोज़े अरफ़ा के दिन का रोज़ा, और आशूरा का रोज़ा रखने वालों के लिए यह ज़रूरी है कि वह तुलू-ए-फज्ज से पहले रात के किसी हिस्से में उसकी नीयत कर लें । अलबत्ता मुतलक़ नफ़ل रोज़ों जैसे हर महीने के तीन रोज़े, उनकी नीयत तुलू-ए-फज्ज के बाद दिन के कुछ हिस्से गुज़रने पर भी की जा सकती है, शर्त यह है कि उससे पहले कुछ न खाया हो ।

3. रोज़ेदार के लिए मुस्तहब है कि वह रोज़ा तोड़ने से पहले दुआ करे, क्योंकि अल्लाह के रसूल سल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम ने फरमाया है: ‘रोज़ेदार की इफ्तार के वक्त की दुआ कदापि रद्द नहीं होती है ।’ (सुनन इब्न माजा 1734) और इस बारे में दुआ आइ है कि वह कहे

**ذَمَّبِ الظَّمَأْ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَّتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ**

जहबज्जमउ वब्ललतिल उरुको व सबतल अज्जर इनशा अल्लाह

4. जिसे दिन के बीच में रमजान शुरू होने की ख़बर मिले तो उस पर ज़रूरी है कि वह उस समय से खाना-पीना छोड़ दे और उसकी क़ज़ा करे ।

5. जिस व्यक्ति का क़ज़ा रोज़ा बाकी हो, उसे चाहिए कि ज़िम्मेदारी निभाने के उद्देश्य से उसे अदा करने में जल्दी करे । अलबत्ता इस ताल्लुक से देर करना भी जायज़ है और अपनी क़ज़ा को लगातार या अलग अलग भी अदा कर सकता है । अलबत्ता किसी उज्ज के बिना दूसरे रमजान तक नहीं टाल सकता ।